"पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस कॉल"

16 नवंबर, 2011

मॉडरेटर्स: श्री सतनाम सिंह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
श्री अभिषेक मुरारका – विश्लेषक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

मॉडरेटर देवियो एवं सज्जनो, नमस्कार। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको स्मरण कराया जाता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल की अवधि के लिए सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल लिशेन-ऑनली मोड में रहेंगी और आज के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि कॉन्फ्रेंस कॉल की अवधि के दौरान आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो कृपया अपने टचटोन फोन पर "*'' और फिर "0'' दबाकर किसी प्रचालक को संकेत करें। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस कॉन्फ्रेंस कॉल की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज की कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे बीच पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्य उपलब्ध हैं। अब मैं कॉन्फ्रेंस के आगामी संचालन का दायित्व आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के श्री अभिषेक मुरारका को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद, महोदय कृपया आएं और संचालन का दायित्व संभालें।

अभिषेक मुरारका धन्यवाद, लवलीना। आप सभी को शुप्रभात और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के आयोजन हेतु श्री सतनाम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि अब हम महोदय के आरंभिक उद्बोधन से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर दौर आयोजित किया जाएगा। महोदय क्या हमें आपके आरंभिक उद्बोधन का लाभ मिलेगा?

सतनाम सिंह सभी को शुप्रभात। धन्यवाद अभिषेक। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आरंभिक उद्बोधन में मैं मुख्य रूप से दो प्रमुख मुद्दों (चिंताओं) पर चर्चा करूंगा जो मौजूदा विद्युत बाजार में तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं, मेरा मानना है कि यह निवेशकों के हित में होगा; पहली चिंता वितरण कंपनियों को होने वाली हानियों से संबंधित है और दूसरी चिंता कोयले की लगातार हो रही कमी और बढ़ रहे मूल्य से संबंधित है।

पूर्व में मैंने कुछ निवेशकों के साथ इस बात की जानकारी साझा की थी कि भारत सरकार ने इस दिशा में कौन कौन से प्रमुख प्रयास शुरू किए हैं। आज मैं आप सभी को इन अलग अलग प्रयासों की प्रगति के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जुलाई, 2011 में विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की माली हालत में सुधार करने के लिए एकमत से 14 संकल्प पारित किए गए। हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रूप में सभी राज्यों से इन 14 संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध योजना तैयार करने और हमें उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। हमें अभी तक केवल तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही कार्यान्वयन योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन संकल्पों के परिणाम के रूप में कुछ राज्यों में टैरिफ पहले ही बढ़ा दिया गया है; हिमाचल और झारखंड राज्यों ने जुलाई में टैरिफ में वृद्धि की; दिल्ली ने अगस्त में; राजस्थान और गुजरात ने सितंबर में; महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर ने अक्टूबर में और हमारा मानना है कि तमिलनाडु भी निकट भविष्य में अपने टैरिफ में वृद्धि करेगा।

विद्युत मंत्रालय और भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं, जिसे कॉमन रेटिंग मकेनिज्म के रूप में जाना जाएगा, जो निकट भविष्य में लागू की जाएगी। इस संबंध में तीन अथवा चार बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस व्यवस्था को इस माह के अंत तक अंतिम रूप देने में सफल होंगे। यदि इस माह के अंत तक ऐसा नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से दिसंबर के पहले पखवाड़े में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा जो पीएफसी, आरईसी और सभी बैंकों द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण देने के लिए एक एकीकृत आधार के रूप में कार्य करेगी। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अल्पकालीन ऋण व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है और अल्पकालीन ऋण के लिए निर्धारित मानदण्डों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

जहां तक हानियों को कम करने का प्रश्न है, तो पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन हेतु हम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह योजना अच्छी तरह कार्य कर रही है। इस योजना का उद्देश्य हानियों को 15% के वर्तमान स्तर से नीचे लाना है; इस योजना के अंतर्गत 1400 कस्बों को शामिल किया जाना है; 300 और अलग प्रकार के कस्बों में हानि स्तर 15% से कम हो गया है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विद्युत क्षेत्र के इतिहास में पहली बार भौगोलिक अवस्थिति के साथ साथ परिसंपत्ति मैपिंग के आधार पर विभिन्न कस्बों को एकीकृत करने के लिए आधुनिकतम (स्टेट ऑफ दि आर्ट) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधार पर कस्बों को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था, अब तक 64 कस्बों को एकीकृत किया जा चुका है और हमें आशा है कि मार्च 2012 तक लगभग 500 कस्बों को एकीकृत किया जाएगा। इस प्रकार के एकीकरण की एक विवक्षा (इम्प्लीकेशन) यह है कि वितरण कंपनियां इस स्थिति में होंगी की वे हानियों को कम करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई कर सकें भले ही प्रणाली उन्नयन हुआ हो अथवा न हुआ हो, जबकि हानियों को कम करने के लिए यह नितांत आवश्यक है। योजना का अन्य भाग - भाग 'ख' जिसके अंतर्गत प्रणाली उन्नयन का कार्य किया जाना है, का भी कार्यान्वयन तेज गति से किया जा रहा है। हमने लगभग सभी कस्बों के लिए भाग-'ख' के अंतर्गत ऋण स्वीकृत कर दिए हैं। राज्य भाग-'ख' के अंतर्गत संविदाओं का अधिनिर्णय करने की प्रक्रिया में हैं। भाग-'ख' के अंतर्गत संविदाओं के कार्यान्वयन में दो से तीन वर्ष का समय लगेगा।

वितरण कंपनियों में लेखापरीक्षित लेखाओं की उपलब्धता की कमी चिंता का अन्य बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूतपूर्व सीएजी श्री शुंगलू की अध्यक्षता में एक सीमिति गठित की थी और मैं भी उस समिति का एक सदस्य हूं। हम पिछले एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से नियमक मुद्दों, वित्तीय मुद्दों, प्रणाली सुधार और वितरण

क्षेत्र की व्यवहार्यता पर कार्य करते रहे हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए डिलोट्टी, केपीएमजी और दो अन्य सीए फर्मों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है ताकि सभी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वर्ष 2009-10 तक के खातों को वर्तमान स्तर तक लाया जा सके। हम अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं और आशा है कि रिपोर्ट दिसंबर के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी। इसके पश्चात सरकार सभी के विचार जानने के लिए उन्हें आमंत्रित करेगी कि समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

विद्युत अधिनियम में टैरिफ में स्वत: एवं स्वैच्छिक रूप से संशोधन का प्रावधान है फिर भी संगत राज्यों ने नियामक के साथ एआरआर फाइल नहीं किया है। तथापि राज्यों में नियामक ने अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। अपीलीय अधिकरण के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने इन राज्यों में नियामकों से एक प्रश्न पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है और अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियामकों को दिशानिर्देश देने हेतु अपीलीय अधिकरण से मांग की है।

वितरण क्षेत्र में निजी भागीदारी पर कार्य करने के लिए अन्य कार्यबल गठित किया गया है। कार्य प्रक्रिया का उद्देश्य सरकार को इस संबंध में सिफारिश करना है कि कौन सा मॉडल - 100% निजीकरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी अथवा फ्रेंचाइजी या वर्तमान में मौजूदा सरकारी मॉडल में से वितरण क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मॉडल कौन सा है। मैं इस कार्यबल का भी एक सदस्य हूं। हमने रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है, फिर योजना आयोग के साथ अंतिम चर्चा आज की जाने वाली है, इसके पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निवेशकों ने पहले इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि यह तो ठीक है कि आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 1400 कस्बों को शामिल किया जा रहा है, हानियों में कमी होगी परंतु अन्य कस्बों में भी तो हानियों को कम करना आवश्यक है। अन्य कस्बों में हानियों को कम करने के लिए दो बातों पर विचार किया गया है; एक यह कि आर-

एपीडीआरपी योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और इसमें 30,000 तक की आबादी वाले कस्बों के स्थान पर 15000 तक आबादी वाले कस्बों को शामिल किया जा रहा है जिससे कि अधिक से अधिक कस्बों को इस योजना में शामिल किया जा सके। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए जनसंख्या की सीमा 10,000 के स्थान पर 5000 की गई है। इसके अलावा ऐसे कस्बों, जो आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और वास्तव में इसके लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसे मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। राष्ट्रीय विद्युत निधि, जो कि एक सब्सिडी आधारित योजना है, के अंतर्गत ऐसे विभिन्न कस्बों में हानियों को कम करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 3% से 7% सब्सिडी की रेंज निश्चित की गई है जो आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। अत: यदि आप इन प्रयासों और इनके कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर डालेंगे तो मेरा मानना है कि हानियों को कम करने के मुद्दे का बड़े पैमाने पर समाधान हुआ है। यहां तक कि जहां तक पीएफसी का संबंध है, तो पीएफसी की खाताबही में राज्य क्षेत्र के लिए 65% ऋण जारी किया गया है और हम पिछले करीब 25 वर्ष अथवा उसके आस पास की अवधि से राज्य क्षेत्र के लिए ऋण देते रहे हैं। अभी तक हमारा एनपीए केवल बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक नामक एक संगठन के मामले में ही है, इसके संदर्भ में हमने अंतिम तिमाही में पूरी राशि वसूल कर ली है। अब तक हमारे पास कोई भी गैर निष्पादन परिसंपत्तियां नहीं हैं और जहां तक राज्य क्षेत्र को त्रण देने का संबंध है तो हमने किसी भी कर्ज को बट्टेखाते में नहीं डाला है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि हमारे यहां एक सुदृढ़ संवितरण प्रक्रिया मौजूद है, वह प्रक्रिया यह है कि हम राज्य क्षेत्र को धनराशि नहीं देते हैं, हम उनसे सीधे हमें बिल भेजने और पूर्तिकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा हमारे यहां जमानत राशि की भी व्यवस्था है जो तृतीय पक्षकार के साथ एस्क्रो करार के रूप में है जो वसूली के इस स्तर को बनाए रखने के साथ साथ गैर निष्पादन परिसंपत्तियों का लगभग

शून्य स्तर बनाए रखने में सहायक रही है।

अब हम ईंधन की आपूर्ति और उसके तेजी से बढ़ रहे मूल्यों से संबंधित दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री ने न्यूयार्क में आयोजित कार्यक्रमों में से किसी एक कार्यक्रम में यह घोषणा की थी कि अब उन्होंने कोयला खदानों के मामले में गो और नो-गो क्षेत्र का निर्धारण किया है; हालांकि इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय से शीघ्र ही औपचारिक सूचना प्राप्त होने की आशा है। परंतु हमारे मामले में यह गो / नो-गो का विशेष मुद्दा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में ही उपयोगी था और आप लोगों में से कुछ लोगों को जैसा पता होगा कि उड़ीसा यूएमपीपी के मामले में हमने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, इसके लिए एफआरक्यू जारी किए गए और आरएफक्यू के प्रत्युत्तर में 20 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनका वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है और नवंबर के अंत तक आरएफपी जारी किए जाने की संभावना है। जहां तक छत्तीगढ़ का संबंध है गो / नो-गो क्षेत्र के मुद्दे पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है।

मैंने स्वयं भी इस मुद्दे को कोल इंडिया लि. के साथ उठाया है और कोयले की उपलब्धता के बारे में सूचना निम्नानुसार है: सबसे पहले यह कि कोल इंडिया के अनुसार मार्च, 2009 के पहले स्थापित परियोजनाओं के लिए जहां तक कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। 1 अप्रैल, 2011 से आगे की स्वीकृतियों के लिए हमने ईंधन आपूर्ति करार के साथ-साथ विद्युत खरीद करार के संदर्भ में संशोधित शर्तों के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृति देना प्रारंभ किया है, जिसका आशय यह है कि जब तक कि कोई विकासकर्ता ये दोनों करार नहीं करता है, तब तक हम उसे धनराशि का संवितरण नहीं करेंगे, इस प्रकार उस सीमा तक जोखिम दूर हो गया है। परंतु ऐसी परियोजनाओं जो मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2011 के बीच स्वीकृत की गई है, के मामले में विद्युत मंत्रालय के साथ इस अनुरोध के साथ मुद्दे को उठाया गया है कि उन्हें इस मुद्दे को कोयला मंत्रालय के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उठाना चाहिए कि

किसी भी परिस्थिति में अधिनिर्णय के पत्र के जरिए सरकार की प्रतिबद्धता पूरी की जाए। परंतु हमारी ओर से मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि यहां तक कि परियोजनाओं की स्थापना में अभी भी एक से डेढ़ वर्ष का समय और लग सकता है और उनमें से अधिकांश परियोजनाएं राज्य क्षेत्र की हैं।

अब मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आगे क्या होने वाला है, जो पीएफसी के महत्वपूर्ण विकास से संबंधित था। अब इस वर्ष हम 5000 करोड़ रूपए के कर मुक्त बॉड, 6900 करोड़ रूपए के अवसंरचना बॉड के लिए पात्र हैं और हमें एक बिलियन डालर तक के ईसीबी का अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो गया है।

अब हम मार्च, 2012 के पहले यह समस्त धनराशि जुटाने की योजना बना रहे हैं, जिसका हमारी ऋण लागत पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह निश्चित रूप से उस समय पर निर्भर करेगा कि हम इस धनराशि को कब तक जुटा पाते हैं। यदि इन तीनों स्रोतों के अंतर्गत धनराशि जुटा ली जाती है, तो हम आगामी तिमाही में 30 से 40 करोड़ रूपए की बचत करने की स्थिति में हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी अभी स्पष्ट किया है कि उड़ीसा के लिए अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के संदर्भ में हमने 1 अगस्त को आरएफक्यू जारी किए थे, जिनका मूल्यांकन चल रहा है, जब हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगे तो 20 बोलीदाताओं ने एक ही तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की, 18 बोलीदाताओं ने अपने स्पष्टीकरण दिए, जिनकी जांच की जा रही है और हम नवंबर के अंत तक आरएफपी जारी करने की स्थिति में हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने आरएफक्यू की तारीख 5 दिसंबर तक बढ़ा दी थी और उस तारीख के आस पास हमें इस बारे में विचार करना होगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। हम चेय्यूर यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू जारी करने के लिए तैयार हैं, परंतु यह निर्णय लिया गया है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए हम मूल्य विभाग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, जबकि इन दोनों यूएमपीपी के बाद किन्हीं भी परियोजनाओं को संशोधित बोली दस्तावेजों के आधार

पर पूरा करना होगा, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई वर्तमान में विद्युत मंत्रालय के परामर्श से जारी है और आशा है कि यह कार्रवाई पूर्ण होने पर हम चेय्यूर यूएमपीपी के लिए भी आरएफक्यू जारी कर सकेंगे।

इसी प्रकार, जहां तक स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं का संबंध है, तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हमने तीन परियोजनाओं का अधिनिर्णय पहले ही कर दिया है और चौथी आईपीपी अर्थात नागापट्टनम / कुड्डाकुलम के अधिनिर्णय की प्रक्रिया चल रही है, आरएफक्यू के प्रत्युत्तर में 22 बोलीदाताओं ने अपने रुझान (बोली) प्रस्तुत किए हैं, आरएफपी के लिए 18 बोलीदाताओं को छांटा गया है और हमने 20 सितंबर को आरएफपी जारी किए हैं और मार्च, 2012 तक हम इसका अधिनिर्णय करने वाले हैं। हमें दी गई 5वीं आईपीपी के लिए भी हमने विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) स्थापित किया है और हम शीघ्र ही इसके लिए आरएफक्यू जारी करने वाले हैं।

पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना के बारे में जैसा आपको स्पष्ट किया गया है कि कस्बों को किस प्रकार तथा कितने कस्बों को एकीकृत किया जाएगा, परंतु मैं आपको इस योजना पर किए गए व्यय के आंकड़ों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। 30.9.2011 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 25,526 करोड़ रूपए की संचित स्वीकृतियां और 4552 करोड़ रूपए से अधिक का संचित संवितरण किया गया है।

30 सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधार पर 1200 कस्बों के एकीकरण के लिए एक पूर्व-अर्हता के रूप में बेस लाइन डेटा के आधार पर लगभग 300 कस्बों में बेस लाइन डेटा की स्थापना कर ली गई है और 48 कस्बों का पहले ही एकीकरण कर लिया गया है।

हमने कुछ समय पहले न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने गुजरात में काकरापुर परमाणु

ऊर्जा स्टेशन के लिए लगभग 8000 करोड़ रूपए का ऋण न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन को स्वीकृत किया गया है।

हमने अपनी दोनों सहायक कंपनियों का कारोबार शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, ये दोनों सहायक कंपनियां अर्थात पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ साथ पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज़ वास्तव में नई कंपनियां हैं और दोनों ने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है और हम आगामी माहों में इन दोनों सहायक कंपनियों के व्यापार की प्रगति को दर्शाएंगे। हमारी मौजूदा सहायक कंपनी - पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को अब तक हर वर्ष की तरह लगभग 200 करोड़ रू. के 73 कार्य प्राप्त हुए हैं और हम लगातार अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं, इसकी आय हर वर्ष लगभग दो गुनी हो जाती है, वर्तमान में हमारे पास लगभग 123 करोड़ रूपए मूल्य के 17 कार्य उपलब्ध हैं।

आपने समाचार पत्र में पहले ही पढ़ा होगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अतिम रूप से एक निजी इक्विटी फंड बनाने का निश्चय किया है। इसकी अवधारणा इस प्रकार रही है कि हमारे पास विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के क्षेत्र में तो विशेषज्ञता उपलब्ध है परंतु हम निधियों के प्रबंधन की दृष्टि से पर्याप्त दक्ष नहीं हैं, अत: हम किसी ऐसे भागीदार का चयन करेंगे जो निधियों के प्रबंधन में दक्ष हो और फिर हम दोनों मिलकर एक न्यास के साथ साथ एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन करेंगे जो एक निजी कंपनी होगी और संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में कार्य करेगी। इसमें दोनों की इक्विटी भागीदारी क्रमश: 51% और 49% की होगी। दोनों भागीदार इस निधि में 5% का अंशदान करेंगे जो प्रारंभ में लगभग 300 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में होगा, और अंत में इसका अधिकतम आकार कम से कम 1 बिलियन अमरीकी डालर तक होगा। हम शीघ्र ही इस संबंध में निविदा जारी करेंगे, हो सकता है कि इस माह के अंत तक अथवा दिसंबर की शुरुआत में निविदा प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात भागीदारों का चयन किया जाएगा।

बैंकिंग पहल के क्षेत्र में हम परामर्शदाता के चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पात्रता संबंधी मानदंडों के बारे में कुछ मुद्दे थे जिन्हें अब हल कर लिया गया है और परामर्शदाता का चयन हो जाने के पश्चात हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, हम इस क्षेत्र में भी कुछ न कुछ प्रगति अवश्य करेंगे।

अब हम तिमाही परिणामों की चर्चा करेंगे, हमारी ऋण परिसंपत्तियों में 26% की वृद्धि हुई है। तिमाही के लिए कुल आय में अर्थात गत वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में इस वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 24% की वृद्धि हुई है। छमाही आधार पर 22% की वृद्धि दर्ज की गई है जो ऋण परिसंपत्ति में हुई वृद्धि के अनुरूप है। तिमाही दर तिमाही आधार पर ब्याज से होने वाली निवल आय में 20% और छमाही आधार पर 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। तुलनात्मक पीएटी 25% बढ़ गया है और छमाही आधार पर इसमें 20% की वृद्धि हुई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी आरंभिक हानि सितंबर के अंत में रूपए के मूल्यह्रास के कारण 10% रही, जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2012 की दूसरी तिमाही के लिए सकल आरंभिक हानि 520 करोड़ रूपए के क्रम में है, निवल आरंभिक हानि लगभग 400 करोड़ रूपए के क्रम में है। यदि यह समायोजन किया जाता है तो कर पश्चात हमारे लाभ में इस तिमाही के दौरान 40% की गिरावट दर्ज होगी, छमाही आधार पर यह गिरावट 18% रहेगी, परंतु यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि मार्च 2012 तक हमारे पास कोई ऋण मोचन देय नहीं है और जून माह में हमारे पास 40 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एफसीएनआर (बी) है जिसमें से 20 मिलियन डॉलर को हमने हैज किया है, इस प्रकार यह चिंता का विषय नहीं है। तिमाही के लिए हमारे यील्ड में 11.21% से 11.29% की वृद्धि हुई है जबकि छमाही आधार पर यह 11.08% से बढ़कर 11.19% हो गया है। तिमाही के लिए निधियों की लागत 8.60% से बढ़कर 9.08% और तिमाही के लिए 8.45% से बढ़कर 8.93% हो गई है। जैसा मैंने

आपको स्पष्ट किया है कि उपरोक्त तीनों स्रोतों के हमारे संसाधन दोहन व्यवस्था में जुड़ जाने के पश्चात निधियों की लागत पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तिमाही के लिए हमारे विस्तार में 2.61% की तुलना में 2.21% की कमी हुई है और छमाही के लिए भी यह 2.63% से घटकर 2.26% हो गया है। जहां तक एनआईएम का संबंध है, हम इसे 4.10% बनाए रखने में सफल रहे हैं। इसमें मामूली गिरावट हुई है जो 3.97% है परंतु यदि पूर्ववर्ती तिमाही से इसकी तुलना की जाए तो वर्तमान तिमाही में यह अधिक है और छमाही के लिए यह 4.08% की तुलना में 3.91% है। स्वीकृतियां यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में कम प्रतीत होती हैं, परंतु भारतीय विद्युत क्षेत्र के मौजूदा ढांचे में हो रहे परिवर्तनों के कारण निजी क्षेत्र से अधिक से अधिक परियोजनाएं सामने आ रही हैं। हमने इस वर्ष के लिए अपने लक्ष्य में लगभग 45 हजार करोड़ रूपए की कटौती की है जिसमें से अब तक लगभग 29500 करोड़ रूपए के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। परंतु जैसा मैंने हमेशा स्पष्ट किया है कि बकाया स्वीकृतियां, जो हमारी वृद्धि दर का आधार है, 179,103 करोड़ रूपए बनी हुई हैं जो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आगे आने वाले वर्षों में हमारी ऋण परिसंपत्तियों में कितनी वृद्धि होगी।

पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में पहली तिमाही में संवितरण नकारात्मक अर्थात (-) 23% था, परंतु मुझे आपको यह सुचित करते हुए खुशी है कि गत वर्ष की पहली छमाही की तुलना में इस वर्ष की पहली छमाही में यह (+) 3% है। इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर हमारा खाता बही मूल्य 119 रुपए से बढ़कर 141 रुपए हो गया है जो 18% अधिक है और पूंजी पर्याप्तता 18.22% बनी हुई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अब यह सत्र प्रश्नोत्तर के लिए खुला है।

धन्यवाद।

मॉडरेटर महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपने टचटोन टेलीफोन पर "*" और फिर "1" दबाकर अपना प्रश्न पूछें। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे प्रश्न पूछते समय हैंडसेट का प्रयोग अवश्य करें। जो प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहते हैं वे "*" और फिर "1" दबाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न एशियन मार्केट सिक्योरिटीज से श्री आशुतोष ध्रुव की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

आशुतोष ध्रुव महोदय मैं केवल एक बात समझना चाहता हूं कि आप एनपीए से संबंधित मुद्दा, जिसके संबंध में अभी चर्चा की गई, के संदर्भ में परिसंपत्ति प्रोफाइलिंग किस प्रकार करेंगे? ये तो हुई एक बात। क्या आज की स्थिति के अनुसार आरबीआई द्वारा अधिदेशित प्रावधानों में भी कोई परिवर्तन किया गया है?

सतनाम सिंह हमने प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हमारा पक्ष यह है कि हम धारा 4क के अंतर्गत आने वाली कंपनी होने के नाते संदेहास्पद ऋण के लिए पहले से ही आरक्षित निधियां सृजित कर रहे हैं, जिसका सितंबर की स्थिति के अनुसार संचित आंकड़ा लगभग 1000 करोड़ रूपए से अधिक है जो ऋण बही का लगभग 1% है। इस प्रकार ऐसे किसी अतिरिक्त प्रावधान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जो "संभावित गैर निष्पादन परिसंपत्तियों" के लिए आवश्यक हो। हम राज्य क्षेत्र को पिछले 25 वर्षों से ऋण देते आ रहे हैं और जैसा मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में कहा है कि अब तक हमारे पास कोई एनपीए नहीं है और बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के संदर्भ में एक छोटा सा एनपीए किसी प्रकार के ऋण की व्याख्या के कारण है, जिसे हमने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उनसे वसूल कर लिया है। इस प्रकार हम ऐसी कोई परिकल्पना नहीं करते हैं कि जब हमारे पास सौ करोड़ रूपए से अधिक की आरक्षित निधि पहले से मौजूद है तो किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता हो।

आशुतोष ध्रुव महोदय मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माना कि यह विद्युत क्षेत्र से जुड़ी कोई परियोजना है जिसे तीन से चार वर्ष में स्थापित किया जाना है और यदि इसकी स्थापना में पर्यावरण संबंधी अथवा कोयले से संबंधित मुद्दों के कारण विलंब होता है, तो हम किस प्रकार से अपनी ऋण बही का पुनर्गठन करेंगे, क्या हम कोई अंतरिम प्रावधान करेंगे अथवा हम कोई लीवे या मॉरेटोरियम जैसी व्यवस्था करेंगे, हम इसकी गणना कैसे करेंगे?

सतनाम सिंह जहां तक मुझे ज्ञात है कि देश में एक अथवा दो विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाएं "विशेष उद्देश्य वाहन" के जरिए कार्यान्वित की जा रही है और ये विशेष उद्देश्य वाहन परियोजना की स्थापना के पश्चात ही राजस्व सृजित करना शुरू करते हैं। अब कहने का आशय यह है कि यदि परियोजना स्थापित नहीं की जाती है, तो क्या एसपीवी ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में होंगे, कदापि नहीं। यह संभव ही नहीं है। इस प्रकार यदि विकासकर्ता के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से परियोजना की स्थापना में विलंब होता है, तो मेरा मानना है कि परियोजना की स्थापना तक पुनर्भुगतान को स्थगित करने के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है।

आशुतोष ध्रुव इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने के पश्चात क्या हमने उनके लिए पुनर्भुगतान की अवधि का पुनर्गठन पहले से शुरू कर दिया है?

सतनाम सिंह नहीं, राज्य क्षेत्र के मामले में यहां तक कि यह प्रक्रिया पहले से जारी है और अब इसमें कोई प्रावधान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हमें ऐसा ज्ञात है कि कि परियोजना का कार्यान्वयन एसपीवी द्वारा शुरू किया गया है और इसकी स्थापना में विलंब है। ऐसी स्थिति में आप राजस्व में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं और यदि इस मद में पुनर्भुगतान स्थगित किया जाता है, तो संस्थान

द्वारा ब्याज की वसूली की जा रही है।

आशुतोष ध्रुव नहीं, श्रीमानजी, मेरा प्रश्न विशेष रूप से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित है।

सतनाम सिंह निजी क्षेत्र, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है। एक अथवा दो परियोजनाओं में ऐसी स्थिति बन सकती है, परंतु हमें इसकी जानकारी नहीं है।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न ऐक्सेस म्युचुअल फण्ड से राहुल वेकारिया की लाइन से है। महोदय कृपया अपनी बात कहें।

राहुल वेकारिया कृपया इस बात की जांच करें, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि वित्त वर्ष 2012 की पहली छमाही के दौरान प्रमुख क्रेडिट मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई है जो लगभग 8800 करोड़ रूपए के आस पास है तथा क्रेडिट एजेंसियों के अनुसार इसमें वृद्धि हुई है, ये दोनों राज्य वित्त वर्ष 2010 के लिए हानियों में 70% तक अंशदान करने वाले शीर्षस्थ पांच राज्यों में से हैं, ऐसी स्थिति में मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ऐसी परियोजनाओं को ऋण जारी करने का क्या आधार है अथवा इसके लिए क्या सावधानी बरती गई है?

सतनाम सिंह इसके लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रश्न मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम से संबंधित है, जिनका स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है और जब कभी भी स्वीकृतियां चाहे डिस्कॉम को अथवा उत्पादन स्टेशनों को जारी की जाती हैं तो किसी भी सूरत में हमारा एक्सपोजर न्यूनतम रहता है और स्वीकृतियां परियोजना के रिटर्न की आंतरिक वित्तीय दर के आधार पर दी जाती हैं। यदि परियोजना कार्यान्वित की जाती है तो राज्य के संपूर्ण राजस्व पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही एक ऐसा आधार है जिसको ध्यान में रखते हुए स्वीकृतियों पर विचार

किया जाता है।

राहुल वेकारिया ब्याज की वसूली और भुगतान के संदर्भ में हमें किसी प्रकार का तनाव महसूस नहीं हो रहा है अथवा न ही भविष्य में लागू किए जाने वाले किसी विशेष ढांचे से किसी असुविधा की संभावना है अथवा क्या आप भविष्य में भी किसी परिवर्तन या वर्तमान प्रावधान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं?

सतनाम सिंह नहीं, बिल्कुल नहीं। यद्यपि मुझे इस अवसर पर केवल सितंबर के अंतिम परिणामों पर चर्चा करनी चाहिए परंतु मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं कि 15 अक्टूबर हमारी अंतिम तिथि थी और मध्य प्रदेश, जो किश्तों में भुगतान कर रहा है, को छोड़कर हमें हमारे लगभग सभी दीर्घकालीन देयताएं प्राप्त हो गई हैं।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न इडेलविस से कुणाल शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

कुणाल शाह महोदय संपूर्ण स्वीकृतियों के संदर्भ में एक बात यह है कि पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना के संदर्भ में मेरा मानना है कि स्वीकृति लगभग शून्य है, अत: क्या वितरण के क्षेत्र में कोई पुनवर्गीकरण किया गया है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह 200 करोड़ रुपए से अधिक है और दूसरी तिमाही के दौरान आरएपीडीआरपी के लिए यह शून्य दर्शाया गया है, अत: स्पष्ट करें कि क्या वास्तविक रूप से यह शून्य रहा है या कोई पुनवर्गीकरण किया गया है?

सतनाम सिंह नहीं, ऐसा कोई पुनवर्गीकरण नहीं किया गया है। पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना के लिए पहली छमाही के दौरान लगभग 3700 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृति की गई है। अत: आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि कोई स्वीकृतियां नहीं हैं?

कुणाल शाह नहीं, दूसरी तिमाही में नहीं, यदि आप इस पर नजर डालेंगे तो यह कमोबेश शून्य ही है।

सतनाम सिंह ऐसी स्थिति में क्या होता है जब परियोजनाएं सवीकृति के लिए तैयार नहीं होती हैं अथवा संचालन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है, तो हो सकता है कि इसे शून्य दर्शाया जाए, अन्यथा हम हम आरएपीडीआरपी के अंतर्गत सभी स्वीकृतियां पूरी करने वाले हैं। भाग-क के अंतर्गत हमने लगभग 6000 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृति की है और भाग-ख के अंतर्गत लगभग 25000 से 27000 करोड़ रूपए का आंकड़ा पार करने वाले हैं, इस प्रकार 33000 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृति की गई है। मेरा मानना है कि हमने वर्ष 2008-09 से सितंबर तक 25000 करोड़ रूपए की धनराशि पहले ही स्वीकृति कर दी है और उसके पश्चात संचालन समिति एक और बैठक आयोजित की गई है जिसमें हमने लगभग 300 से 400 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृति की है।

कुणाल शाह ठीक है, क्या यह 33000 करोड़ रूपए में से ही है?

सतनाम सिंह इसमें से बहुत ही कम राशि स्वीकृति के लिए शेष है क्योंकि राज्य इस प्रकार की स्वीकृतियों के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में यह आरएपीडीआरपी के अंतर्गत की जाने वाली स्वीकृतियां हैं, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस संबंध में हम बड़ी जल्दी कार्रवाई करते हैं।

कुणाल शाह ठीक है, महोदय, यदि हम दूसरी तिमाही की स्वीकृतियों पर नजर डालते हैं तो माना कि इसमें संवितरण लगभग अधिकतम 2000 करोड़ रूपए है और यह संवितरण दूसरी तिमाही के दौरान किया गया है और यहां तक कि यदि मैं वित्त वर्ष 2011 से इसकी तुलना करें तो वितरण क्षेत्र में स्वीकृतियों का आंकड़ा 200 करोड़ रूपए अथवा उसके आसपास है। यह मुख्य रूप से वितरण कंपनियों के कार्यशील

पूंजी ऋण के मद में है अथवा परियोजना के लिए है।

सतनाम सिंह यह प्राथमिक रूप से महाराष्ट्र की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए है जो अपने सब स्टेशनों का उन्नयन कर रही हैं।

कुणाल शाह ठीक है, ऐसा नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ सकता है बैंक इस संबंध में कुछ हद तक उदारवादी रहे हैं, इसलिए हमें बिक्री से ज्यादा से ज्यादा मांग प्राप्त हो रही है।

सतनाम सिंह नहीं, यह परियोजनाओं के लिए है, न कि अल्पकालिक ऋणों के लिए।

कुणाल शाह ठीक है, संपूर्ण संवितरण में भी यदि आप देखेंगे तो कार्यशील पूंजी आवश्यकता कितनी रही अथवा पहली छमाही में इसमें कितनी गिरावट हुई, क्या आप केवल इसकी परिकलित राशि की जानकारी दे सकते हैं?

सतनाम सिंह पहली छमाही में हमने 1540 करोड़ रूपए की धनराशि संवितरित की है।

कुणाल शाह उत्कृष्ट।

सतनाम सिंह उतकृष्ट, सितंबर की स्थिति के अनुसार यह लगभग 3000 करोड़ रूपए है।

कुणाल शाह ठीक है। कार्यशील पूंजी के मद में 300 करोड़ रूपए।

सतनाम सिंह यह उन आंकड़ों पर आधारित है जो सामान्यत: हम एक वर्ष के लिए ऋण देते हैं और जिनमें छ: माह के पश्चात ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात ही इसका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम समयावधि एक वर्ष है। यदि नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव पास होता है तो यह देखना आवश्यक है कि गत वर्ष के

दौरान उसे कितनी राशि स्वीकृति की गई है। इस बात का खयाल पहले रखा गया है और इसीलिए हमने कोई राशि स्वीकृति नहीं की।

कुणाल शाह ठीक है, क्या पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव हमें आज की तारीख तक प्राप्त हुआ है या राजकोषीय वर्ष के आगामी तीन से छः माह के भीतर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होने की आशा है, क्या किसी भी परियोजना के संदर्भ में किसी प्रकार का पुनर्गठन किया गया है?

सतनाम सिंह आपका आशय राज्य क्षेत्र से है।

कुणाल शाह जी हां,

सतनाम सिंह पुनर्गठन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अभी अभी इस बात का उल्लेख किया है कि हमें मध्य प्रदेश, जो किश्तों में भुगतान कर रहा है, को छोड़कर अक्टूबर तक कि देयताएं प्राप्त हो गई हैं।

कुणाल शाह ठीक है, महोदय क्या आप पिछली बार की तरह महेश्वर परियोजना के बारे में केवल वर्तमान स्थिति से अवगत करा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि भुगतान किस प्रकार होता रहा तथा यह स्पष्ट करें कि क्या इसे एनपीए ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है और या 31 मार्च, 2012 तक आरबीआई से प्राप्त संपूर्ण मोरिटोरियम का इसके लिए प्रयोग किया जाएगा?

सतनाम सिंह महेश्वर परियोजना में दो बातें थीं; एक तो यह कि मार्च, 2012 तक आरबीआई ने एक विशेष छूट प्रदान की है, दूसरा यह कि महेश्वर परियोजना से होने वाली आय प्राप्ति के आधार पर मानी जाती है और जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि कुछ धनराशि हमने दूसरी तिमाही में प्राप्त की है, पूरी नहीं बल्कि "ऋणकर्ताओं की बैठक" में हमने विकासकर्ताओं को यह चेतावनी दी है कि उन्हें कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले अभी बकाया इक्विटी की व्यवस्था करनी

होगी। वे इस पर कार्य कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही हम आपको कोई अच्छी खबर दें कि बकाया इक्विटी प्राप्त कर ली गई है और इस प्रकार ऋणकर्ता इस संबंध में अगली मांग कर सकते हैं।

कुणाल शाह ठीक है, इसलिए क्या हम अभी भी इसे एनपीए हानि के रूप में मान सकते हैं?

सतनाम सिंह हमने इसे एनपीए नहीं माना है और हमें मार्च 2012 तक ऐसी आशा भी नहीं है। इस अवधि तक हो सकता है कि यह मुद्दा हल हो जाए।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न रिलायंस म्युयुअल फंड से श्रेय लूंकर की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

श्रेय लूंकर मैं केवल इस बात की जांच करना चाहूंता हूं कि क्या आप हमें केवल यह समझने में सहयोग करेंगे कि यदि एसईबी परिसंपत्ति श्रेणी में संपूर्ण ऋण पर नजर डालेंगे और आपको उसे दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण के रूप में अलग-अलग दर्शाना है तो दीर्घकालीन ऋण में हमारी और आरईसी की क्या हिस्सेदारी होगी? क्या इस संबंध में आप मुझे केवल इतनी जानकारी दे सकते हैं जो पर्याप्त हो।

सतनाम सिंह मैं आपको अपने एक्सपोजर के बारे में बता सकता हूं, परंतु मेरा मानना है कि आरईसी के संबंध में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार राज्य क्षेत्र को हमारा कुल एक्सपोजर 70900 करोड़ रूपए है जो 110,000 करोड़ रूपए की परिसंपत्ति बही में से है। आरईसी के संबंध में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि सभी राज्यों द्वारा लिया गया संपूर्ण ऋण सामूहिक रूप से लगभग 3.11 लाख करोड़ रूपए है। यह आंकड़ा मार्च 2010 का है। वर्तमान आंकड़ें वास्तव में अभी उपलब्ध नहीं हैं जबकि मैं आपको अपने वर्तमान आंकड़े ही दे रहा हूं।

श्रेय लूंकर ठीक है, यह काफी हद तक सहायक है। महोदय, क्या आप हमें महेश्वर परियोजना की समय सीमा के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि आपने विकासकर्ता को कब तक की चेतावनी दी है, क्या आप हमें इस चेतावनी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं?

सतनाम सिंह मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार प्रारंभ में हमने लगभग 45 दिन का समय दिया है और फिर इसके बाद एक माह का और अतिरिक्त समय दिया है। इस प्रकार देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि यह एक जटिल स्थिति है जहां विकासकर्ता को किसी अन्य रणनीतिक निवेशक को शामिल करते हुए इक्विटी की व्यवस्था करनी है। यह रणनीतिक निवेशक उसकी अपनी सहयोगी कंपनी हो, परंतु वह इतनी धनराशि जुटाने में सक्षम नहीं होती है, अत: कोई न कोई रणनीतिक निवेशक शामिल किया जाएगा। वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परियोजना के प्रत्यय पत्र क्या हैं और विकासकर्ता रणनीतिक निवेशक के साथ किस प्रकार का करार चाहता है। इस प्रकार मेरा मानना है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि अगले एक माह में हम आपको कोई खुश खबरी देंगे।

श्रेय लूंकर और महोदय यदि इस चेतावनी का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो क्या होगा?

सतनाम सिंह ऋणकर्ता को इस बात की मांग करनी होगी कि वह अन्य रणनीतिक निवेशक को आमंत्रित करेगा या नहीं क्योंकि परियोजना स्थापना के लिए तैयार है परंतु निधियों, जो प्राथमिक रूप से इक्विटी निधि के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, की कमी, वर्तमान में ऋण इक्विटी अनुपात 86:14 होने जबकि इसे सामान्यत: 70:30 होना चाहिए अथवा ऐसी स्थिति में बेहतर होता कि 20:80 होना चाहिए, के कारण जब तक कि अतिरिक्त इक्विटी का इंतजाम नहीं होता, तब तक वेंडर आगे कोई मांग करने के लिए तैयार नहीं हैं। अत: आरबीआई की छूट की

अवधि समाप्त होने से पहले चूंकि हमारे पास कुछ समय है, हम विकासकर्ता पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह अपने संसाधनों से कोई रणनीतिक भागीदार लाए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, तब हम इसके बारे में सोचेंगे, या तो हम मध्य प्रदेश सरकार से इक्विटी भागीदार के लिए अनुरोध करेंगे अथवा घरेलू बाजार में मौजूदा अन्य कंपनियों में से किसी को अन्य रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल करेंगे।

श्रेय लूंकर महेश्वर परियोजना के लिए निधियों की उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ती हुई आवश्यकता है?

सतनाम सिंह हां, इसके लिए इक्विटी और कर्ज दोनों की आवश्यकता है।

श्रेय लूंकर क्या आप इसकी विस्तृत मात्रा की हमें जानकारी दे सकते हैं।

सतनाम सिंह लगभग 1000 से 1200 करोड़ रूपए, जिसमें लगभग 700 करोड़ रूपए इक्विटी और 400 से 500 करोड़ रूपए ऋण के रूप में है।

श्रेय लूंकर और महोदय, इस 700 करोड़ रूपए की इक्विटी का इंतजाम हो जाने पर क्या हम इस स्थिति में होंगे कि 400 से 500 करोड़ रूपए के उत्तरोत्तर ऋण की व्यवस्था कर सकेंगे?

सतनाम सिंह परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए आवश्यक 700 करोड़ रूपए की इक्विटी निधि के लिए या तो हम कोई अतिरिक्त एक्सपोजर लेंगे अथवा हम अन्य ऋणदाताओं से इस परियोजना में भागीदार के रूप में शामिल होने का अनुरोध करेंगे।

श्रेय लूंकर ठीक है, महोदय मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या आप हमें कोना सीमा परियोजना के बारे में इस स्थिति से विस्तार से अवगत कराएंगे?

सतनाम सिंह कोनासीमा में ऐसी स्थिति नहीं है। कोनासीमा परियोजना के लिए कुछ समय से उन्हें गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अन्यथा परियोजना की स्थापना पूर्ण हो गई है। यदि इसे गैस उपलब्ध हो जाती है तो परियोजना व्यवहार्य है।

श्रेय लूंकर परंतु क्या वर्तमान में यह परियोजना इतना नकदी प्रवाह सृजित कर रही है जो कर्ज की अदायगी के लिए पर्याप्त है?

सतनाम सिंह नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि पिछली तिमाही में इस परियोजना को गैस उपलब्ध नहीं हुई इसलिए वह नकदी प्रवाह सृजित नहीं कर सकी, परंतु परियोजना के प्रथम चरण में कोई समस्या नहीं है, इस परियोजना में गैस की आपूर्ति ही केवल चिंता का विषय है।

श्रेय लूंकर ठीक है, क्या तीसरी और चौथी तिमाही में उसे गैस की आपूर्ति के संबंध में कोई अनुमान है?

सतनाम सिंह वास्तव में ऐसे किसी अनुमान के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। आशा है कि सरकार गैस आपूर्ति के मुद्दे का समाधान कर लेगी और फिर गैस की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। गैस की आपूर्ति पहले मौजूदा स्टेशनों के लिए बहाल की जाएगी।

श्रेय लूंकर ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या आप हमें शुंगलू समिति की रिपोर्ट के बारे में अवगत कराएंगे? हमारा मानना है कि इसमें विलंब हो सकता है, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है? यदि ऐसा है तो कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।

सतनाम सिंह इस तरह के प्रश्न आपको श्री शुंगलू से पूछना चाहिए, परंतु चूंकि मैं उस समिति का एक सदस्य हूं अत: इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि इसमें कोई विलंब नहीं है। प्रश्न यह है कि हम वितरण क्षेत्र की व्यवहार्यता और उसे जीवनक्षम्य बनाने जैसे जटिल मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। इसके लिए हमने डिलोटी, केपीएमजी जैसी बड़ी कंपनियों और दो से अधिक सीए फर्मों को शामिल किया है, जिससे कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सके और सभी कार्य कर लिए गए हैं, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अत: श्री शुंगलू के साथ हुई मेरे चर्चा के आधार पर इस माह के अंत तक हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न सुनिधि सिक्योरिटीज से सुश्री कनिका ठक्कर की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

कनिका ठक्कर महोदय, मेरा प्रश्न इस बात से संबंधित है कि आपकी संपूर्ण ऋण बही में से उत्पादन कंपनियों के लिए आपका एक्सपोजर लगभग 84% है। यह हमारे लिए सहायक होगा यदि आप हमें इस बात की जानकारी देंगे कि ऋण बही का कितना भाग वर्तमान में प्रचालनरत है और कितना निर्माणाधीन कार्यों के लिए है?

सतनाम सिंह यह आंकड़े वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि आप हमें इस आशय का ईमेल भेजेंगे तो हम शीघ्र ही आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

कनिका ठक्कर ठीक है, और महोदय मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या आप हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि एस्क्रो व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है? क्योंकि वितरण कंपनियों के मामले में हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं परंतु आपका अधिकतम एक्सपोजर उत्पादन कंपनियों के लिए है अत: आपकी ऋण बही का कितना भाग एस्क्रो व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है और यदि नहीं तो सुरक्षा की अन्य

क्या व्यवस्था उपलब्ध है, क्या किसी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा गारंटी उपलब्ध है। क्या इस पक्ष को समझने में आप हमारी मदद करेंगे?

सतनाम सिंह

गारंटी प्राथमिक सुरक्षा है। इसलिए हमें गारंटी और एस्क्रो व्यवस्था की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार हमारी ऋण बही का 13% भाग राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अंतर्गत शामिल है। शेष भाग परिसंपत्तियों पर प्रभार के आधार पर सुरक्षित है, इसने एनटीपीसी और अन्य जैसी ककक रेटित कंपनियां शामिल नहीं हैं, जहां नकारात्मक लियन उपलब्ध है, आशय यह है कि उन्हें दिए गए कर्ज के आधार पर एक निश्चित अनुपात बनाए रखना है। जहां तक राज्य क्षेत्र का संबंध है हमारे सभी ऋणों को एस्क्रो व्यवस्था के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है, इसमें कुछ राज्य शामिल नहीं हैं जहां सरकारी विभाग विद्युत व्यवसाय कर रहे हैं और सभी परिचय पत्र इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि हमें एस्क्रो खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस व्यवस्था के कार्य करने का प्रश्न है तो प्रत्येक कंपनी का एक संग्रहण खाता होता है चाहे वह उत्पादन कंपनी हो या वितरण कंपनी या फिर पारेषण कंपनी। वर्तमान में ऋणकर्ता, संग्रहकर्ता बैंकर और हम एक त्रिपक्षीय करार करते हैं जहां ऋणकर्ता मुख्य संग्रहकर्ता बैंकर को इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है कि उसे यह अधिकार होगा कि वह ऋणकर्ता द्वारा लिए गए सभी ऋणों के लिए पीएफसी के लिए उस समय अधिकतम देय राशि के समतुल्य प्रथम राजस्व की राशि आहरित कर सकता है और यह एक विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से पीएफसी के खाते में जाएगी। हम उस खाते से अपने पुनर्भुगतान अथवा ब्याज का भुगतान प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए हम केवल इस बात की निगरानी करते हैं कि आवश्यक राशि उस खाते के माध्यम से हमें प्राप्त हो। हम अपने ऋणकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि देय भुगतान हमें निर्धारित तिथि से पहले किया जाए। परंतु यदि ऋणकर्ता ऐसा नहीं करता है तो पहले हम उसे नोटिस देकर इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं,

फिर हम उनके पास जाकर बात करते हैं कि कितनी राशि देय थी और आपके द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है। यदि वे भुगतान करने में असफल होते हैं तो हमें यह अधिकार है कि बिना किसी शर्त के एस्क्रो खाते से उतनी राशि आहरित कर सकते हैं और बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस ऋण का भुगतान करे। आपका सहज प्रश्न यह होगा कि हम इस विकल्प के संबंध में कैसे कार्रवाई करते हैं। हां, हमने काफी पहले ऐसा दो बार किया है। एक बार यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश और दूसरी बार मध्य प्रदेश के संदर्भ में लागू की गई और हमने अपनी धनराशि वापस प्राप्त की।

कनिका ठक्कर ठीक है, महोदय, कृपया हमें केवल एक बात समझने में सहयोग करेंगे कि सामान्यत: डिस्कॉम के मामले में एस्क्रो व्यवस्था काफी सुदृढ़ है और पारेषण कंपनियों ने वितरण कंपनियों से अपनी देय राशि की वसूली प्राथमिक रूप से की तथा अंत में यह राशि आपको अंतरित कर दी गई। अत: यदि डिस्कॉम के क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो पारेषण कंपनियों को यहां तक कि वितरण कंपनियों से देय राशि की प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार यहां तक कि आपको एस्क्रो व्यवस्था पर लियन का अधिकार प्राप्त है, फिर भी यह व्यवस्था तब विफल हो जाती है जब राज्य विद्युत बोर्ड गंभीर समस्या से जूझ रहे होते हैं। वे पारेषण कंपनियों का भी भुगतान नहीं करते हैं। ऐसा अभी हाल ही में पाया गया है जहां एनटीपीसी के कर्जदारों की अवधि बड़ी तेजी से समाप्त हुई है। अत: क्या आप इस संदर्भ में अपना कोई विचार रख सकते हैं या इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं?

सतनाम सिंह यह ठीक वैसा ही है जैसे वितरण कंपनियों को अंतिम उपभोक्ता से राशि वसूल करने का अधिकार है, परंतु वितरण कंपनियों की पात्रता केवल उनके प्रभार तक ही सीमित है। ऐसे प्रभार जो यह उत्पादन कंपनी और पारेषण कंपनी के खाते से वसूल करता है, को रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना सही

नहीं है कि वितरण कंपनियां उत्पादन कंपनी और पारेषण कंपनियों को भुगतान नहीं करेगी। यदि यह भुगतान रोक देते हैं तो यह केवल उनके गारंटित भाग के लिए ही होता है। पारेषण और उत्पादन कंपनी की ओर से जो भी राशि वे वसूल करते हैं उसे वह अपना राजस्व कैसे कह सकते हैं और उसे अपने पास कैसे रख सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसी कोई स्थिति घटित होते नहीं देखी है। मैं अपनी ओर से यह स्पष्ट करता हूं कि वितरण कंपनियों को उत्पादन कंपनियों, पारेषण कंपनियों और अपने स्वयं के प्रभार वसूल करने होते हैं। इस प्रकार उन्हें तीन खातों में राशि की वसूली करनी होती है। जो इससे संबंधित है उस पर उसका अधिकार होता है परंतु जो राशि वितरण कंपनी अथवा पारेषण कंपनी के खाते में वसूल की जाती है उसका इस पर कोई अधिकार नहीं होता है।

कनिका ठक्कर ठीक है, महोदय ऐसी बातें जिन्हें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वे डिस्कॉम को आज की तारीख तक होने वाली हानियों से संबंधित हैं, वे इनका निधियन बैंक से कर्ज लेकर कर रहे हैं, परंतु ज्यादातर बैंकों ने अब डिस्कॉम को कर्ज देना बंद कर दिया है। यही बात ज्यादातर बैंकरों से सुनने को मिल रही है। अत: इस प्रकार के परिदृश्य में यदि पारेषण के संदर्भ में कोई कमी होती है, तो डिस्कॉम से उत्पादन कंपनियों को अपेक्षित देयताओं में भी कमी हो सकती है। इसलिए हम केवल उस कमी को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए कर्जदार ज्यादातर पारेषण कंपनियों का रुख कर रहे हैं। अत: इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? हमें यह भी ज्ञात है कि कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने अभी हाल ही में टैरिफ संशोधित किए हैं परंतु इसका क्या समाधान है क्योंकि आप स्वयं भी शुगलू समिति के सदस्य हैं। ऐसी भी कुछ अफवाहें हैं कि शायद राज्य विद्युत बोर्ड की हानियों के संबंध में कुछ चर्चा की गई है कि उन्हें राज्य के तुलन पत्र में अंतरित की जाए। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, अभी तक आपके मतानुसार इसका स्पष्ट समाधान क्या हो सकता है जिससे कि इस संपूर्ण समस्या का व्यवहार्य समाधान किया जा सके।

सतनाम सिंह

जहां तक शुंगलू समिति की सिफारिशों का संबंध है, तो मैं समिति की रिपोर्ट आने तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि समिति कौन कौन सी सिफारिशें करने वाली है। परंतु राजस्व की वसूली से संबंधित आपके मुद्दे का समाधान करने, वितरण कंपनियों को लगातार हानि क्यों हो रही है आदि के संबंध में प्राथमिक रूप से चार कारण उत्तरदायी हैं : टैरिफ का संशोधन न किया जाना; सब्सिडी का भुगतान न करना; वितरण हानि का अधिक होना; और संचालित आधार पर ईंधन वृद्धि का भुगतान न करना। जैसा आपने ठीक ही उल्लेख किया है कि कुछ राज्यों ने अपना टैरिफ पहले ही संशोधित कर दिया है परंतु राजस्व पर इसका प्रभाव आगामी महीनों में देखा जाएगा। परंतु उड़ीसा और दिल्ली को छोड़कर ये पारेषण कंपनियां और वितरण कंपनियां और डिस्कॉम राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं। टैरिफ का संशोधन, सब्सिडी का भुगतान न करना आदि सभी मुद्दे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अत: इनमें जहां कहीं भी कमी है, उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार ने ऐसे अंतराल को समाप्त करने के साथ साथ उसे सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल की मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण राज्य सरकारें अन्य स्रोतों से निधियां आवंटित कर रही हैं और भुगतान अनुसूची को बनाए रखने के लिए उन्हें भारी छूट प्रदान करती हैं। निश्चित रूप से सहायता उपलब्ध कराने में कुछ विलंब हो सकता है इसीलिए आपको कुछ बकाया राशियों की जानकारी हुई होगी। अत: बकाया सब्सिडी के समाशोधन हेतु राज्यों को स्वयं ही कार्रवाई शुरू करनी होगी, सरकारी विभागों को अपनी बकाया राशियों का भुगतान करना होगा ताकि वितरण कंपनियां अपनी भुगतान अनुसूचियों के अनुरूप भुगतान कर सकें।

कनिका ठक्कर

और अंतिम प्रश्न आरंभिक हानि से संबंधित है जो हमने पीएण्डएल के माध्यम से रूट की हैं, यह 520 करोड़ रूपए की राशि पर क्या कर

की कटौती की जाएगी?

सतनाम सिंह हां, इस पर कर कटौती की जाएगी।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न मोतीलाल ओसवाल से उमंग शाह की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

उमंग शाह एक्सपोजर के दृष्टिकोण से मैं केवल इतना समझना चाहता हूं कि उन परियोजनाओं जिनके लिए आप वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, का कितना भाग निर्माणाधीन होगा और कितना पहले से प्रचालनरत होगा?

सतनाम सिंह किसी ने पहले भी यह प्रश्न पूछा है वास्तव में अभी मेरे पास इससे संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। यदि आप इस आशय का ईमेल हमें भेजेंगे तो हम आपको यह डेटा उपलब्ध करा देंगे।

उमंग शाह ठीक है, कोई समस्या नहीं है मैं आपको ईमेल भेज दूंगा और महोदय आपने आरंभिक उद्बोधन में बिहार हाइड्रो परियोजना के बारे में कुछ उल्लेख किया था कि इसकी देय राशियों की वसूली वर्तमान राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान की गई। क्या आप इस संबंध में कुछ जानकारी दे सकते हैं?

सतनाम सिंह हमने बिहार हाइड्रो कॉर्पोरेशन को काफी समय पहले दो ऋण दिए थे। मेरा मानना है कि 90 के दशक में आरंभिक वर्षों के दौरान दिए गए थे और इस मामले में धन ऋणकर्ता अधिनियम की व्याख्या के कारण उन्होंने यह कहा कि यदि भुगतान किया गया ब्याज मूलधन से अधिक है तो कोई मूलधन देय नहीं होगा। अब एक वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण देते समय ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए वे कुछ समय से इस प्रकार के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और हमने इसे संगत प्राधिकारियों के साथ उठाया और अंत में उन्होंने इस वित्त वर्ष की

पहली तिमाही में बकाया ऋण-14 करोड़ रूपए का समाशोधन और भुगतान कर दिया है। यद्यपि हमने अपने लेखाओं में पहले 100% प्रावधान किया था परंतु हमने उनमें तदनुसार परिवर्तन कर दिया गया है।

उमंग शाह इसके अलावा महोदय क्या आप हमें इस बात की जानकारी देंगे कि ऐसे शीर्षस्थ पांच एसईबी के लिए आपका एक्सपोजर क्या होगा जो घाटे में चल रहे हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य सभी की क्या स्थिति है?

सतनाम सिंह मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बता सकता हूं, इसके लिए हमारा एक्सपोजर 5821 करोड़ रूपए है, राजस्थान के लिए 10496 करोड़ रूपए है। कोई अन्य उत्पादक के संबंध में?

उमंग शाह महोदय, मेरा आशय तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से है।

सतनाम सिंह उत्तर प्रदेश के लिए हमारा एक्सपोजर 7881 करोड़ रूपए है।

उमंग शाह पंजाब और बिहार?

सतनाम सिंह पंजाब के लिए केवल 356 करोड़ रुपए और बिहार के लिए 196 करोड़ रुपए।

उमंग शाह ठीक है, महोदय एक बार पुन: एक्सपोजर की दृष्टि से विद्युत परियोजनाओं, मुख्य रूप से व्यापारिक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में आपका एक्सपोजर क्या होगा।

सतनाम सिंह व्यापारिक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में हमारे पास 100% व्यापारिक विद्युत थी। हमने केवल दो छोटी परियोजनाओं केवल दो छोटी परियोजनाओं के लिए एक्सपोजर दिया है; इनमें से एक

परियोजना सिक्किम की हाइड्रो परियोजना है और दूसरी आंध्र प्रदेश की 20 मेगावाट क्षमता वाली एक छोटी परियोजना है। शेष सभी परियोजनाएं जिसके लिए हमने सहायता प्रदान की है जिनके लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापारिक विद्युत मानक के रूप में थी। इस मामले में अभी हमने केवल व्यापारिक विद्युत की व्यवहार्य स्थापना के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान की है, पूर्व में हम यह तीन रूपए के हिसाब से करते थे और अब 3.5 रूपए की दर से कर रहे हैं। इस टैरिफ के आधार पर यह व्यवहार्य नहीं हो रहा है इसलिए हमने फिर किसी अन्य परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

उमंग शाह ठीक है, महोदय, कृपया उप परियोजनाओं परियोजनाओं, जिन्हें आपने 100% व्यापारिक विद्युत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है क्या उनमें शामिल अनुमानित राशि की जानकारी देंगे।

सतनाम सिंह मेरा मानना है कि लगभग 70 करोड़ रूपए।

उमंग शाह दोनों को मिलाकर?

सतनाम सिंह यह लगभग 140 करोड़ रूपए है।

उमंग शाह महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न उन परियोजनाओं के संबंध में है जो निर्माणाधीन अथवा प्रचालनरत हैं, इन परियोजनाओं पर औसत पीएलएफ क्या होगा?

सतनाम सिंह नहीं, हमारे पास इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मॉडरेटर हमारा अगला प्रश्न ब्रिक्स सिक्योरिटीज से नीलांजन कारफा की लाइन से है। कृपया अपनी बात कहें।

नीलांजन कारफा

हाय। महोदय, शुप्रभात। आपसे एक सहज प्रश्न। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र जब से अविनियमित हुआ है, तब से आपको यह हानि वर्ष 2001 में हुई थी और इसके समाधान में दो से तीन वर्ष का समय लगा था और इन हानियों की राज्य द्वारा जिम्मेदारी ली गई और 7 वर्ष के समय में हम फिर से उसी चरण पर पहुंच गए हैं। प्रत्येक समिति विशिष्ट प्रकार से अधिनियम, राज्य, लोगों के लिए कुछ सिफारिशें करती है जो इन अधिनियमों का पालन करते हैं। क्या यह सुनिश्चित है कि शुंगलू समिति की रिपोर्ट में भी आप ऐसी कुछ सिफारिशें करने वाले हैं कि हम इस मुद्दे की पुन: समीक्षा नहीं करेंगे? क्या इस संदर्भ में समिति के सभी सदस्यों के बीच मतैक्य है?

सतनाम सिंह

मैं शुंगलू समिति की सिफारिशों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है परंतु इसके बावजूद भी मुख्य मुद्दे सभी को पता हैं जिनमें से टैरिफ का संशोधन न किया जाना प्रमुख से उल्लेखनीय है। यदि समय पर टैरिफ का संशोधन किया जाता है, तो निश्चित रूप से आप जो आदक्षता देख रहे हैं, के बावजूद भी राजस्व और व्यय में एकरूपता नहीं होगी। इस प्रकार आदक्षता संपूर्ण मुद्दे का एक छोटा सा भाग है। टैरिफ का संशोधन न किया जाना और सब्सिडी के भुगतान में विलंब अथवा सब्सिडी का भुगतान न किया जाना अथवा सरकारी विभागों द्वारा भुगतान न किया जाना इसके प्रमुख कारण हैं। प्रत्येक राज्य सरकार से यदि इसमें सुधार करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वे किसी प्रकार की अधिनियम संबंधी आवश्यकता के बिना भी इसमें सुधार कर सकते हैं।

नीलांजन कारफा

अत: क्या इसके लिए किसी अनुशासन का प्रावधान किया गया है? मेरा मानना है कि आप संभवत: पूर्ववर्ती अधिनियम को विनिर्दिष्ट नहीं कर पाएंगे, जिसे आप प्रस्तुत करने वाले हैं, परंतु आप किसी सरकार को कैसे अनुशासित कर सकते हैं, मेरा प्रश्न यही है। राज्य नियामक प्राधिकरण का प्रमुख कोई भी व्यक्ति हो अथवा उसका

नियंत्रण कोई भी कर रहा हो परंतु आप ऐसी कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जो अधिकतम रूप से असमान है।

सतनाम सिंह

मैं यह नहीं कहूंगा कि इस प्रकार के अनुशासनों का क्रियान्वयन किसी बात के लिए नहीं किया जाता सकता है। यदि केन्द्र सरकार और सभी एजेंसियां, शामिल सभी पणधारक यह स्पष्ट कर देते हैं कि राज्य आगे बढ़ सकते हैं बशर्ते कि केवल यही कार्य किए जाने हों, तो राज्य सरकारें संशोधन और वसूली के लिए स्वतंत्र होती हैं। संभावित निवेशक बैंकों के जरिए राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें ऐसा, ऐसा, ऐसा करना चाहिए अन्यथा वे निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि विद्युत क्षेत्र में इक्विटी निवेश कुछ समय से कम हो गया है और सभी सरकारें चाहे राज्य केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें इसकी तलाश में हैं। इसलिए केवल अनुशासनिक परिवर्तन से ही अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यह महज इतना ही नहीं है कि एक व्यक्ति कहे और दूसरा सुने, यदि आप वास्तव में यह महसूस करते हैं कि निवेशक विद्युत क्षेत्र में निवेश करें तो हमें निश्चित रूप से ऐसी बातें/कार्य करने होंगे जो निवेश की दृष्टि से अनुकूल हों। जब बैंक कर्ज देना बंद कर देते हैं, इसलिए बहुत से राज्यों ने पहले ही अपने टैरिफ में संशोधन कर दिया है, बहुत से राज्यों ने अपनी बकाया सब्सिडी का भुगतान कर दिया है। यद्यपि यह भुगतान पूरी तरह से नहीं किया गया है। इस प्रकार चीजें घटित हो रही हैं।

नीलांजन कारफा

ठीक है, अत: यदि मुझे आपके अनुसार सोचना और समझना हो तो क्या आप यह सोचते हैं कि आप भविष्य में पीपीपी आधारित सर्वाधिक व्यवहार्य होगी?

सतनाम सिंह

उत्पादन के लिए सारे विकल्प खुले हैं, ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र की कंपनियां सामने आ रही हैं। पारेषण के लिए सरकार ने अल्ट्रा पारेषण परियोजनाओं के माध्यम से निजीकरण के लिए प्रयास शुरू किए हैं।

इसी प्रकार हमें पांच लाइनें सौंपी गई हैं, आरईसी को भी कुछ लाइनें दी गई हैं। वितरण के लिए दो राज्यों उड़ीसा और दिल्ली ने पहले ही इसका निजीकरण कर दिया है। कुछ राज्यों ने अपने प्रमुख कस्बों के लिए निजी क्षेत्र की फ्रेंचाइजी नियुक्त की हैं। इस कार्यबल ने सिफारिश की है कि वास्तव में अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है परंतु समिति का विचार या तो फ्रेंचाइजी अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के पक्ष में हो सकता है और जब कुछ समय पश्चात इसका कार्यान्वयन हो जाएगा तो परिस्थितियां स्वत: बदल जाएंगी।

नीलांजन कारफा यह बहुत सहायक है। महोदय मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मुझे अप्रैल 2011 के पश्चात लागू की गई संशोधित शर्तों की जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे पूर्ववर्ती दस्तावेज में किए गए गए प्रमुख परिवर्तनों की संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं।

सतनाम सिंह पीएफसी और आरईसी विभिन्न प्रकार की शर्तों का अनुपालन कर रहे थे। परंतु जहां तक हमें ज्ञात है कि बैंक उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वे गारंटी के लिए केवल राज्य सरकार की सहायता पर ही विश्वास करते थे। अब हम यह कर रहे हैं कि इन शर्तों की चर्चा बैंकों, के साथ साथ वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन के साथ भी हम करते हैं। समान मानदण्डों, जिनका अनुपालन कर्ज देने से पहले किया जाएगा, के आधार पर यह करार हो जाने के पश्चात इनमें एकरूपता होगी और ये शर्तें अन्य किसी बात से संबंधित न होकर टैरिफ के संशोधन, कर्ज वापस करने के रिकार्ड, सब्सिडी के भुगतान, सरकारी विभागों द्वारा समाशोधन आदि से संबंधित होंगी। वित्तीय हालत को प्रभावित करने वाला मुख्य पहलू लेखाओं की लेखापरीक्षा है।

मॉडरेटर हम अपना आखिरी प्रश्न शेरखान से श्री संजीव पांडा की लाइन से लेंगे। कृपया अपनी बात कहें।

संजीव पांडा महोदय, हमने अभी एसईबी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, परंतु इसके अलावा जहां विद्युत कंपनियां ईंधन संबंधी संपर्क मुद्दों, केपेक्स आदि के कारण प्राथमिक रूप से समस्याओं का सामना कर रही हैं, तो वे आखिरी पोर्टफोलियो से हट जाती हैं। क्या आप इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रकाश डालेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है?

सतनाम सिंह अभी तक कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं। क्या आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं?

संजीव पांडा हां,

सतनाम सिंह ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

संजीव पांडा महोदय, क्या आपके समक्ष इस प्रकार की कोई चुनौती है या इसके घटित होने की संभावना है?

सतनाम सिंह इस तथ्य के होते हुए भी कि कुछ परियोजनाएं कोयला खदानों को सौंपी गई हैं और वे परियोजनाएं पूर्व में नो-गो एरिया में शुरू की गई परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने लगीं। जहां कहीं कैप्टिव खान उपलब्ध हैं वहां वास्तव में खनन के लिए आवश्यक समय बहुत कम है। मेरा मानना है कि सर्वाधिक समय स्वीकृतियों के लिए आवश्यक है। संविदा का अधिनिर्णय हो जाने के पश्चात खनन के लिए लगभग छः माह का समय आवश्यक है। इसलिए यहां तक कि अधिक समय न बचने पर भी प्रश्न यह उठता है कि परियेाजना में इस कारण विलंब हो रहा है न कि अन्यथा। इसलिए मेरा अनुमान है कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है परंतु हां, जहां संपर्क के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी गई है और करार पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए जा सके क्योंकि विकासर्ता और कोल इंडिया के बीच शर्तों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, वहां समस्या हो सकती है। यदि सरकार संपर्क के अनुसार आवश्यक कोयले

की आपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करती है तो भी वहां समस्या हो सकती है।

संजीव पांडा और महोदय, कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां कंपनियां आयातित कोयले का विकल्प चुनती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजनाओं के व्यवहार्य होने की संभावना है। इसलिए क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस प्रकार का परिदृष्य निर्मित हो रहा है?

सतनाम सिंह नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां परियोजनाएं कोयला संपर्क के आधार पर शुरू की गई हैं और कोयले की आपूर्ति के न होने पर विकासकर्ता को आयातित कोयले का विकल्प चुनना पड़ता है, तो सरकार को ईंधन की मूल्य वृद्धि के लिए अपनी सहमति व्यक्त करनी पड़ती है। अब यह अलग मामला है कि इस संदर्भ में निर्णय ले लिया गया है क्योंकि विकासकर्ता हमेशा सरकार से ही आग्रह कर सकता है और उसका यह तर्क होता है कि "देखिए आपने कोयले की आपूर्ति के लिए मुझे अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और इसलिए मैंने यह परियोजना हाथ में ली थी और यदि अब मुझे उच्च कीमत पर कोयला आयात करना पड़ता है तो मुझे इस मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए"। इसलिए मेरे अनुसार यह समय पर आधारित प्रश्न है कि इस मुद्दे का समाधान कब किया जाएगा। परंतु विकासकर्ता को यदि सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धता का पालन न करने के कारण कोयले का आयात करना पड़ता है तो वह बढ़ी हुई कीमत की क्षतिपूर्ति के लिए पात्र है।

मॉडरेटर अब मैं कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई के संचालन का दायित्व श्री अभिषेक मुरारका को सौंपना चाहूंगा जो अपना समापन वक्तव्य देंगे।

अभिषेक मुरारका नमस्कार । मैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल में उपस्थित होने वाले सभी प्रतिभागियों और विशेष रूप से श्री सतनाम सिंह द्वारा दिए गए

महत्वपूर्ण समय एवं विद्युत क्षेत्र तथा पीएफसी के बारे में समेकित जानकारी देने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अत: सभी को धन्यवाद और धन्यवाद श्री सतनाम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।

सतनाम सिंह धन्यवाद।

मॉडरेटर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ओर से प्रायोजित इस कॉन्फ्रेंस कॉल का समापन किया जाता है। हमारे बीच उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप अपनी लाइनें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।